राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ...667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान – शरद कुमार बोथरा पुत्र श्री चम्पालाल बोथरा, जयपुर बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, द्वितीय, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2016	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** यह निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के प्रकरण संख्या 784/2011 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक द्वितीय जयपुर सिटी द्वारा कमी मालियत एवं तदनुरूप कम मुद्रांक का प्रकरण बनाते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था एवं जिसको कलक्टर (मुद्रांक) ने स्वीकार करते हुए निगरानीकर्ता के विरूद्ध कमी मुद्रांक कर रूपये 3,34,908/– एवं कमी पंजीयन शुल्क रूपये 3,37,408 मय शास्ति की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा कर बोर्ड, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता के ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अनंत कासलीवाल एवं विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। शरद कुमार बोथरा की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर मुद्रांक जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 784/2011 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2012 एवं उक्त आदेश के परिणामस्वरूप जारी नोटिस दिनांक 18.09.2014 से व्यथित होकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं अधिरोपित मांग तथा जारी नोटिस की प्रकिया पर स्थगन हेतु निवेदन किया गया। बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अभिकथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा श्री सुमेर मल, जिनके विरूद्ध उपरोक्त राशि अधिरोपित की गई है, उनके द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की लीजडीड श्री तारीक सलीम निदेशक जयपुर दरबार होटल प्रा0 लि0, जयपुर के हक में की गई थी, जो कि दिनांक 26.06.2008 को पंजीकृत की गई थी।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2016	– 2 – कालान्तर में उपरोक्त सम्पत्ति का बेचान श्री सुमेर मल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 2010 में श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल को कर दिया गया। सम्पत्ति को प्रीति टिक्कीवाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रार्थी निगरानीकर्ता को दिनांक 14.02.2011 को बेचान किया गया। उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने से संबंधित समस्त कर, जिसमें कि स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क आदि शामिल है, प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय पत्र के पंजीयन के समय ही अदा कर दिये गये। वर्तमान में प्रार्थी निगरानीकर्ता प्रकरण में दर्ज सम्पत्ति विधिक स्वामी के रूप में काबिज है। पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक 6306/08 लीजडीड जिसमें कि प्रथम पक्ष श्री सुमेर मल एवं द्वितीय पक्ष श्री तारीक सलीम निदेशक जयपुर दरबार होटल प्रा0 लि0, जयपुर थे, को उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराने के पश्चात उक्त दस्तावेज पर कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति ले.प.) राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 12.01.2010 को कमी मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की देयता निर्धारित की गई, जिस क्रम में उप पंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकरण को धारा–51 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, के अन्तर्गत कलेक्टर मुद्रांक को रेफर किया गया, जिसमें दिनांक 09.03.2012 को आक्षेपित आदेश इकतरफा पारित किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कलेक्टर मुद्रांक द्वारा दिनांक 09.03.2012 का निर्णय प्रश्नगत सम्पत्ति से संबंधित अवश्य है, परन्तु जिस दस्तावेज पर उक्त निर्णय में कर एवं शास्ति आरोपित की गई, वह न तो निगरानीकर्ता द्वारा निष्पादित है, न ही निगरानीकर्ता का उक्त दस्तावेज से कोई संबंध ही है। श्री सुमेर मल ने श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 4 जून 2010 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उपरोक्त विक्रयपत्र के निष्पादन की तिथि से पूर्व समस्त कर आदि बकाया को अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता (श्री सुमेर मल) की होगी। विक्रय पत्र के संबंधित अंश को इस पीठ	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2016	– 3 – "यह कि विक्रयशुदा उपरोक्त वर्णित दुकान के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋणभार, झगडा–टंटा, वाद–विवाद आदि के चुकारे व निपटारे की जानकारी विक्रेतागण प्रथमपक्ष की होगी तथा आज के पश्चात की जिम्मेदारी स्वयं क्रेत्री, द्वितीयपक्ष की होगी।" इसी प्रकार श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल द्वारा निगरानीकर्ता के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2011 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उपरोक्त विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से पूर्व समस्त कर आदि बकाया को अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता (श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल) की होगी। विभाग द्वारा उक्त दोनों विक्रय पत्र महालेखाकार की जांच में प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में कमी मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की आपत्ति के पश्चात रजिस्टर्ड किये गये है। विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही विवादित लीजडीड के पक्षकार श्री सुमेर मल के विरूद्ध आरम्भ करनी चाहिये थी क्योंकि श्री सुमेर मल फोफलिया ही उक्त लीजडीड के निष्पादक थे एवं उससे संबंधित समस्त करों को चुकाने की जिम्मेदारी एकमात्र श्री सुमेर मल फोफलिया की ही थी। सम्पत्ति को श्री सुमेर मल फोफलिया द्वारा प्रथमतः श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल को विक्रय किया जाना एवं तत्पश्चात श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल द्वारा उक्त सम्पत्ति निगरानीकर्ता को विक्रय कर देने मात्र से श्री सुमेर मल फोफलिया की कर अदायगी की जिम्मेदारी का भार निगरानीकर्ता के ऊपर विभाग द्वारा नहीं थोपा जा सकता। दिनांक 09.03.2012 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में विभाग द्वारा कमी मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की वसूली बाबत कुर्की नोटिस दिनांक 18.09.2014 अंतर्गत धारा 56 राजस्थान मुद्रांक कर अधिनियम, 1998 को निगरानीकर्ता पर तामील किया गया, चूंकि निगरानीकर्ता प्रकरण में पक्षकार नहीं है, इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण को विभागीय भूल समझा गया और इस कारण निगरानीकर्ता ने तत्समय उक्त नोटिस एवं कुर्की की कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच पडताल नहीं की। तत्पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा कार्यालय कलक्टर मुद्रांक में प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया और दिनांक 09.10.2014 को उक्त निर्णय दिनांकित	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 4 –	
11.01.2016	प्रकरण निगरानीकर्ता से संबंधित न होना एवं विभागीय वसूली हेतु कुर्की वारंट में भी निगरानीकर्ता का नाम न होकर श्री सुमेर मल का नाम होने के कारण निगरानीकर्ता ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिस कारण दिनांक 12.02.2015 को विभाग द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किये गये एवं विभागीय अधिकारी सम्पत्ति कुर्क करने के आशय से मौके पर पहुंच कर कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिस कारण निगरानीकर्ता ने अधिकारियों को कमी मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क मय शास्ति को जमा कराने का आश्वासन दिया, जिस कम में अगले दिन अर्थात दिनांक 13.02.2015 को निगरानीकर्ता द्वारा कुल मांग का लगभग 28 प्रतिशत विभाग में जमा करा दिया गया है। निगरानीकर्ता को सम्पत्ति को कय किये जाने के समय न तो प्रश्नगत दस्तावेज (लीजडीड) के निष्पादित होने की कोई सूचना थी और न ही विकेता द्वारा इस बाबत कोई सूचना निगरानीकर्ता को उपलब्ध कराई गई थी। निगरानीकर्ता ने संबंधित सम्पत्ति को अपने स्तर पर पूर्ण जांच–पडताल के पश्चात ही कय किया था, जिस जांच–पडताल में सम्पत्ति समस्त प्रकार के अधिभारों से मुक्त पाई गई। निगरानीकर्ता एक सद्भावी केता है एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज एवं दस्तावेज से संबंधित मांग से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चूंकि निगरानीकर्ता द्वारा सम्पत्ति को श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल से खरीदा गया है एवं विकय की दिनांक 14.02.2011 से पूर्व के समस्त बकाया को चुकाने का दायित्व विकय पत्र के माध्यम से श्रीमती प्रीति टिक्कीवाल द्वारा स्वयं पर लिया गया था, जिस कारण भी उक्त मांग चूंकि दिनांक 14.02.2011 से पूर्व की है, को निर्वहन करने का सम्पूर्ण दायित्व पूर्व स्वामी का बनता है। अतः प्रकरण को विचारार्थ स्वीकार किये जाने तथा निगरानीकर्ता के सम्पत्ति के विरूद्ध जारी नोटिस की प्रकिया एवं सम्पत्ति के विरूद्ध अधिरोपित मांग राशि जो इकतरफा आदेश के फलस्वरूप सृजित की गई है को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 5 –	
11.01.2016	विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर उक्त निगरानी के पोषणीय होने को ही अस्वीकार करने का तर्क प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त रिवीजन निगरानीकर्ता द्वारा उसकी सम्पत्ति के विरूद्ध वसूली प्रकिया प्रारम्भ होने के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध न तो कलेक्टर मुद्रांक कर कोई आदेश कियान्वयन हेतु लम्बित है एवं न ही उनके विरूद्ध कोई आदेश पारित किया गया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(1) का पठन निम्न प्रकार से है :– **65(1) Revision by the Chief Controlling Revenue Authority** –(1) Any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act, may within 90 days fron the date of order, apply to the Chief Controlling Revenue Autority for revision of such order: Provided that no revision application shll be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of fifty percent of the recoverable amount. उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अध्याय IV एवं V तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के उपबंध "A" तथा धारा 35 के तहत पारित किसी आदेश से व्यथित होने पर चीफ कन्ट्रोलिंग रेव्न्यु अथोरिटी (राजस्थान कर बोर्ड) के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है एवं उक्त निगरानी को ग्रहण करने के लिये मांग के 50 प्रतिशत वसूलनीय राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने का संतोषजनक साक्ष्य निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस प्रकरण में न तो प्रार्थी निगरानीकर्ता के विरूद्ध मांग राशि सृजित है एवं न ही प्रकरण की प्रकृति धारा 65 में उल्लेखित अध्यायों तथा	

लगातार 6

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....667/2015 .....जिला.....जयपुर .....

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 6 –	
11.01.2016	धाराओं के अन्तर्गत सृजित मांग राशि के विरूद्ध है। यद्यपि यह संभव है कि वसूली निगरानीकर्ता की सम्पत्ति से किये जाने की कार्यवाही जारी हो, लेकिन इस कार्यवाही का विरोध निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष कर सकता है। कर बोर्ड में धारा 65 के तहत उल्लेखित अध्यायों एवं धाराओं के तहत पारित आदेश के विरूद्ध ही तोष हेतु आवेदन कर सकता है। चूंकि उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरण में परिस्थितियां भिन्न है एवं अन्य व्यवहारी के विरूद्ध सृजित मांग राशि की वसूली प्रकिया को रोकने सम्बन्धी प्रार्थना की गई है, जो कोई आदेश न होकर एक प्रकिया का हिस्सा है। अतः मेरे विनम्र मत के अनुसार उपरोक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से ग्राह्य नहीं है तदनुरूप अस्वीकार की जाती है। निर्णय प्रसारित किया गया। 11-1-2016 (मदन लाल) सदस्य	